फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री सुनील कलाल निवासी बापू नगर, हॉस्पीटल रोड़ देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ **— प्रत्यर्थी**

मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली** संख्या **13 / 2026**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 09.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ से जरिये पत्र क्रमांक :— सूकाअ / 244624172867203 / 2026 / 14 दिनांक 06.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री सुनील कलाल निवासी बापू नगर हॉस्पीटल रोड़ देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द द्वारा ऑनलाईन आवेदन 244624172867203 द्वारा आवेदन उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ के पत्रांक आर.टी.आई. / 41 / 2025 / 701 दिनांक 26.12.2025 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6(3)(I)(II) के तहत अन्तरित होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। आवेदन में बिन्दु संख्या 1 से 8 की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सूकाअ / 244624172867203 / 2026 / 08 दिनांक 18.02.2026 द्वारा आवेदक को उपलब्ध करा दी गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 01 से 08 की सूचना के संबंध में जरिये पत्रांक सूकाअ / 244624172867203 / 2026 / 08 दिनांक 18.02.2026 से लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध करा दिये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार देवगढ़ को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर) राजसमंद**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)